संख्या-6/2016/406/18-2-2016-30(9)/2015

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0

कानपुर।

2- समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश में समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 के प्रस्तर-2.4.3 के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये युवा स्वरोजगार योजना संचालित किये जाने का प्राविधान किया गया है। अतः प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से "समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना" संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। 'समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना' के मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्नवत हैं-

2- योजना का वित्त पोषण

(1) योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की रू0 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50 लाख की सीमा तक, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा- अनु0जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजन हेतु अंशदान की सीमा कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत होगी।

(3) कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होंगे। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को शामिल किया जा सकता है परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) परियोजना धारक के अंशदान की कटौती करने के उपरान्त बैंक परियोजना का वित्त पोषण सम्मिश्र (कम्पोजिट) ऋण के रूप में करेगा जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी भी शामिल होंगे।

(5) विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य शेड्यूल्ड बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा।

3- पात्रता की शर्तें-

(1) आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।

(2) आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

(3) आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

(4) आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।

(5) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।

(6) आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4- क्रियान्वयन संस्था-

(1) योजना का नोडल विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश होगा।

(2) योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।

5- आवेदन की प्रक्रिया-

(1) लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र (संलग्नक-1), शपथपत्र (संलग्नक-2) सम्बन्धित जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ परियोजना प्रारूप (संलग्नक-3) सहित सभी आवश्यक प्रपत्र/संगत अभिलेख संलग्न किये जायेंगे।

(2) आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित उद्यम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न की जायेगी।

(3) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को पावती प्राप्त करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- चयन की प्रक्रिया-

(1) लाभार्थियों का चयन निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से किया जायेगाः-

(क)	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी	-अध्यक्ष
(ख)	अग्रणी बैंक के जिला प्रबन्धक	-सदस्य
(ग)	वित्त पोषण करने वाले तीन प्रमुख बैंकों के जिला समन्वयक	-सदस्य
(घ)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि	-सदस्य
(य)	जिला सेवायोजन अधिकारी	-सदस्य
(र)	प्राचार्य पालीटेक्निक	-सदस्य
(ल)	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	-सदस्य सचिव/संयोजक

प्राचार्य, आई0टी0आई0 को विशेष आमंत्री के रूप में बुलाया जा सकता है।

(2) उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन-पत्रों को सम्यक परीक्षण के उपरान्त टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) टास्क फोर्स द्वारा योजना की उपयोगिता, आर्थिक सम्भाव्यता (Viability) इत्यादि बिन्दुओं के सम्यक परीक्षण के उपरान्त लाभार्थी का चयन किया जायेगा।

7- वित्त पोषण की प्रक्रिया-

(1) लाभार्थी के चयन के उपरान्त एक सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा अपना आवेदन पत्र संसूचित सेवा क्षेत्र के अनुरूप तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा अपना आवेदन पत्र आबंटित वार्ड के आधार पर वित्त पोषण करने वाली शाखा को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(2) लाभार्थी का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर यथा- आवश्यक सर्वेक्षण के उपरान्त वित्त पोषण करने वाली शाखा द्वारा एक माह के अन्दर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय ले लिया जायेगा। स्वीकृत प्रकरणों के सम्बन्ध में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा अस्वीकृत प्रकरणों के कारणों को इंगित करते हुए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को वापस कर दिया जायेगा।

(3) बैंकों से स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थियों को उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में प्रशिक्षणोपरान्त ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उद्यमिता विकास संस्थान से प्रशिक्षण के उपरान्त एक माह के अन्दर संबंधित बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किश्त लाभार्थी को वितरित कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार कोलेटरल सिक्योरिटी लिये जाने के संबंध में बैंकों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(7) योजनान्तर्गत वित्त पोषण करने वाली शाखा द्वारा वांछित मार्जिन मनी का क्लेम उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से ऋण की प्रथम किश्त वितरण करने के बाद एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र व्दारा क्लेम प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर मार्जिन मनी धनराशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में आर0टी0जी0एस0/चेक के माध्यम से करायी जायेगी।

(8) लाभार्थी के खाते में यह मार्जिन मनी टी0डी0आर0 के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा। लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने की दशा में दो वर्ष पश्चात मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा। समायोजन के पूर्व जिला उद्योग केन्द्र/सम्बन्धित बैंकों के अधिकारियों द्वारा लाभार्थी की परियोजना का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के उपरान्त ही मार्जिन मनी/अनुदान का समायोजन खाता नियमित रहने पर किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत जान-बूझकर किए गए ऋण दुरूपयोग के प्रकरणों में सम्बन्धित शाखा द्वारा मार्जिन मनी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को वापस कर दी जायेगी,यदि परियोजना Act of God व अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण बंद हुई है, तो बैंक मार्जिन मनी को अपने ऋण के विरूद्ध समायोजित कर सकेंगे। ऐसे प्रकरण पर समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा व इकाई के पुर्नवासन पर विचार किया जायेगा।

(10) योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा बजट के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जायेगी जिसे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त जब लाभार्थियों को मार्जिन मनी दिया जाना हो, उसी समय राजकोष से आहरित करके सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

8- विविध-

(1) योजना के सुचारू क्रियान्वयन की समीक्षा बी0एल0बी0सी0, डी0सी0सी0, डी0एल0बी0सी0 तथा टास्क फोर्स कमेटी द्वारा की जायेगी। राज्य स्तर पर एस0एल0बी0सी0 में योजना की समीक्षा की जायेगी।

(2) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा जिले स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा एवं प्रदेश स्तर पर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0 द्वारा की जायेगी। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0 द्वारा इस निमित्त रूप-पत्र विकसित कर समस्त जिलाधिकारियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदेश स्तर पर प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(3) योजना के कुल बजट की 03 प्रतिशत धनराशि कन्टीजेन्सी के रूप में प्रयुक्त की जायेगी ताकि लाभार्थियों के प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

(4) लाभार्थियों को एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण उद्यमिता विकास संस्थान के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी प्रशिक्षण से मुक्त होंगे।

(5) उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के पश्चात जब लाभार्थी को मार्जिन मनी दिया जाना हो तो राजकोष से सीधे लाभार्थी के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा समय-समय पर वांछित सूचनाएं उद्यमी द्वारा उपलब्ध करानी होंगी।

(7) योजनान्तर्गत किया जाने वाला व्यय बजट प्राविधान के अन्तर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बजट में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त देयतायें संबंधित वित्तीय वर्ष में सृजित नहीं की जायेंगी।

9- समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण शासन द्वारा सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

10- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपर्युक्तानुसार

भवदीय

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव

संख्या-6/2016/406/18-2-2016-30(9)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7-	समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी,उद्योग/उपायुक्त,जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तरप्रदेश।
8-	गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अखिलेश कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रार्थना पत्र का क्रमांक 			संलग्नक 1

समाजवादी युवा स्व–रोजगार योजना, उ0प्र0

प्रार्थना पत्र (दो प्रतियों में)

01	नम	–				पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित फोटो
02	पिता/पति का नाम	–				
03	पत्र/व्यवहार का पता	–				
04	स्थायी पता	–				
05	प्रस्तावित कार्यस्थल का पता	–				
06	मोबाइल नम्बर	–				
07	ई–मेल आई0डी0 (यदि हो)	–				
08	परिवार का विवरण	–	नम	उम्र	कार्य	आधार कार्ड नम्बर
	पिता	–				
	माता	–				
	भाई या बहन	–				
	बच्चे यदि हों	–				
09	पेंशन कार्ड संख्या	–				
10	परिवार की वार्षिक आय	–	रू0			
11	परियोजना का नाम	–	उत्पाद		सेवा	
12	परियोजना लागत	–	(परियोजना संलग्न करें)			
	प्लान्ट एवं मशीनरी	–	रू0			
	एक चक्र कार्यशील पूंजी	–	रू0			
	योग	–	रू0			
13	निकटतम बैंक शाखा का नाम (शहरी क्षेत्रों हेतु)	–				
14	सर्विस शाखा का नाम (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)	–				
15	स्वयं का अंशदान	–	5 प्रतिशत		10 प्रतिशत	
16	बैंक शाखा में जमा धनराशि	–	रू0			
17	बैंक शाखा का नाम	–				
18	बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड	–				
19	यदि विशिष्ट श्रेणी का लाभार्थी है तो प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति	–				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही हैं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। योजना की सभी शर्तों को संज्ञान में ले लिया गया है। मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। प्रार्थना पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों को जाँच कर मेरे द्वारा ही संलग्न किया गया है।

स्थान :– 			हस्ताक्षर :–

दिनांक :–

नाम :–
पता :–

प्रार्थना पत्र हेतु चेक लिस्ट

1. निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रार्थना पत्र।
2. आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
3. परियोजना रिपोर्ट जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे।
4. बैंक पासबुक की अद्ययतन एन्ट्री सहित छायाप्रति।
5. उपरोक्त सभी विवरण (योजना से सम्बन्धित) के साथ नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।

शपथ पत्र

समक्ष,

उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
.... ।

महोदय,

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ....
निवासी .... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ
कि :—

1. मैं एक बेरोजगार युवक/युवती हूँ।
2. मेरी उम्र दिनांक 01.04............. को .... वर्ष है तथा मेरी जन्म तिथि .... है।
3. मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।
4. मेरे परिवार की वार्षिक आय रू0 .... है।
5. मैंने इससे पूर्व किसी भी केन्द्र तथा राज्य सरकार की स्वरोजगार अनुदान परक योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया है।
6. मैं किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था/अथवा अन्य राजकीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं हूँ।
7. मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
8. मैंने जो परियोजना संलग्न की है उसे भली भाँति पढ़ा तथा समझा है।

मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार परियोजना में उल्लिखित सभी तथ्य सही तथा पूर्ण है। मेरे द्वारा कोई जानकारी छुपायी नहीं गयी है।

हस्ताक्षर
नाम
पता

समाजवादी युवा स्व–रोजगार योजना
(परियोजना प्रारूप)

01	लाभार्थी का नाम				
02	पिता/पति का नाम				
03	पता				
04	मोबाइल नम्बर				
05	आधार कार्ड नम्बर				
06	प्रस्तावित कार्यस्थल का पता (विवरण संलग्न करें)				
07	उत्पाद का नाम				
08	विपणन व्यवस्था				
09	प्लान्ट एवं मशीनरी का विवरण				
	क्र0सं0	मशीन का नाम	कीमत (रूपये में)	आपूर्तिकर्ता का नाम	
10	कुल स्थायी पूँजी विनियोजना		योग		
11	कार्यशील पूँजी (एक चक्र)		योग		
12	परियोजना लागत		योग		
13	वित्तीय व्यवस्था				
	स्वतः पूँजी विनियोजन (रू0)	बैंक ऋण (रू0)	मार्जिन मनी (रू0) दो वर्ष तक ऋण में शामिल	योग (रू0)	
14	अनुमानित उत्पादन				
15	अनुमानित विक्रय (रू0)				
16	लाभ (रू0)				

दिनांक : ....
स्थान : ....

आवेदक का हस्ताक्षर : ....
नाम एवं पताः ....
मोबाइल नम्बरः ....